# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बसेडी

**प्रकरण संख्या0 14/22**

मोहन सिंह पुत्र हटीला जाति काछी (कुशवाह) निवासी पोहई तह0 बसेडी जिला धौलपुर राजस्थान।

................ वादी

***बनाम***

1. भवानी सिंह पुत्र हटीला
2. गेपेश } पुत्रगण रामरूप पुत्र हटीला
3. रामदीन }
4. सूखो पत्नी रामरूप पुत्र हटीला
5. पूनम पुत्री रामरूप पुत्र हटीला

} जाति काछी (कुशवाह) निवासी पोहई तहसील बसेडी जिला धौलपुर (राज.)

6. सीमा पुत्री रामरूप पत्नी जीतेन्द्र जाति कुशवाह निवासी मदीना कॉलोनी, धौलपुर राजस्थान
7. पवन } पुत्रगण ध्रुव पुत्र हटीला जाति कुशवाह निवासी पौहई तहसील बसेडी जिला
8. सत्येन्द्र } धौलपुर राजस्थान

..........................प्रतिवादीगण

9. रामा } पुत्रियान ध्रुव पुत्र हटीला
10. शिमला }
11. गौरा }
12. रवि }
13. किरनदेई पत्नी रामभजन पुत्र ध्रुव
14. दीपक पुत्र रामभजन पुत्र ध्रुव
15. रचना } पुत्रियान रामभजन पुत्र ध्रुव
16. रश्मी }
17. मधु }
18. रामदुलारी } पुत्रीयान हटीला
19. प्रेम }
20. रामरतन पुत्र हरचन्द्र
21. हरीसिंह पुत्र जगन्नाथ
22. सुनीता } पुत्रीयान जगन्नाथ
23. राजन्ती }
24. मीना }

} जातिवान काछी निवासी पौहई तहसील बसेडी जिला धौलपुर राजस्थान

25. पंजाव नेशनल बैक शाखा बसेडी जरिये शाखा प्रबंधक शाखा बसेडी
26. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसेडी व हैसियत भू–स्वामी

................................ तरतीवी प्रतिवादीगण

**दावा अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी. एक्ट**

पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र प्रसाद (आर.ए.एस.)
वकील वादी –श्री राजवीर सिंह परमार एड0
वकील प्रतिवादीगण –

**दिनांक 27.11.2025**

27.11.25
उपखण्ड अधिकारी
बसेड़ी (धौलपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

## निर्णय

हस्तगत प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि वकील वादी ने एक दावा अन्तर्गत धारा 53,,188, आर.टी.एक्ट इन तत्थो के साथ प्रस्तुत किया कि विवादग्रस्त कृषि योग्य आराजी स्थित ग्राम पोहई पटवार हल्का बांसरई तहसील बसेड़ी की जमाबन्दी संख्या 2074 से 2077 तक के अनुसार आराजी के खाता संख्या 63 के ख.न कमशः 100, 242, 243, 246, 247, 445, 99 रकवा कमशः 0.5000, 0.2000, 0.2000, 0.1200, 0.1300, 0.0900, 0.2400 हैक्टैयर कुल किता 7 कुल रकवा 1.4800 हैक्टैयर है। उक्त वादग्रस्त आराजी में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामिलाती आराजी है। जिसका अभी तक कोई बंटवारा नही हुआ है। जिस पर वादी एवं प्रतिवादीगण अपने –अपने हिस्सेनुसार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। व लाभ प्राप्त करते चले आ रहे है। विवादित आराजी में सहखातेदार रामरूप की मृत्यु हो चुकी है। जिसके जायज वारिस उसके दो पुत्र प्रतिवादी संख्या 2 व 3 एवं एक पत्नी प्रतिवादी संख्या 4 एवं दो पुत्री प्रतिवादी संख्या 5 व 6 है। इसी प्रकार सहखातेदार ध्रुव की मृत्यु हो चुकी है। जिसके जायज वारि उसके दो जीवित पुत्र प्रतिवादी संख्या 7 व 8 है। व एक पुत्र रामवरन की मृत्यु हो चुकी है। जिसके जायज वारिस व कायम मुकाम प्रतिवादीगण संख्या 13 लगायत 17 है व चार पुत्रियां प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 12 है। जो ध्रुव के जायज वारिस है। जिसका विरासत का नामान्तकरण अभी नहीं हुआ है। इसी प्रकार अन्य सहखातेदार रामवती पत्नी जगन्नाथ की मृत्यु के पश्चात् उसके जायज वारिस प्रतिवादी संख्या 21 लगायत 24 है इनका भी विरासत का नामान्तकरण नही हुआ है। इसलिए दावा में स्वत्व घोषणा चाही गई है। उक्त विवादित आराजी में वादी का हिस्सा 1/6 व प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/18 व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 का हिस्सा 1/9 बनता है। व इसी प्रकार प्रतिवादीगण संख्या 7 लगायत 17 जो मृतक ध्रुव के वारिस है उन सभी का हिस्सा अन्दर 2/9 में बनता है। व इसी प्रकार प्रतिवादीगण संख्या 18 व 19 का प्रत्येक का हिस्सा 1/18, 1/18 है। प्रतिवादी संख्या 20 का अकेले का हिस्सा 1/6 बनता है। प्रतिवादीगण संख्या 21 लगायत 24 का हिस्सा मृतका रामवती के हिस्से को सम्मिलित करते हुए सभी का सम्मिलित हिस्सा 1/6 बनता है। उक्त दावा मूलतः प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 द्वारा विवादित आराजी में वादी के कब्जे काश्त से रोकने व बेदखल करने की धमकी देने पर पेश किया है । शेष पक्षकारान को सहखातेदार होने के कारण बटवारा कास्त हेतु पक्षकार बनाया गया है। उनसे कोई विवाद नहीं है। अरसा करीब 10 दिन पूर्व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 वादी के हिस्से की आराजी पर आये और कहने लगे कि तू अपने हिस्से की आराजी को मत जोतना, तेरा कोई हिस्सा विवादित आराजी मे नही है। तूने काश्त की तो तुझे जान से मार देगें। तो वादी ने कहा कि उक्त विवादित अराजी का बटवारा कर लो तो प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 एकदम नाराज होकर मारने टूट पडे और आयन्दा कासत नहीं करने देने की धमकी देकर गये है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 द्वारा दी गई धमकी से व्यथित होकर वादी को यह लाजिमी हो गया है। कि वह न्यायालय श्रीमान से विवादित आराजी का बंटवारा वाई मीट्स एण्ड वाउण्ड कराकर खाता व लगान अलग–अलग कायम करावे कि वे वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करे और न किसी अन्य से करावे, न जोतने बोने से रोके, न ही उसके हिस्से की आराजी से बेदखल करे। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 द्वारा दी गई धमकी के अनुसार यदि उन्होने वादी को उसके हिस्से की आराजी से बेदखल कर दिया या कब्जा काश्त नहीं करने दी या बंटवारा नहीं किया तो वादी को ऐसी क्षति होगी जिसकी पूर्ति धन से संभव नहीं हो सकेगी। प्रतिवादीगण संख्या 25 को विवादित आाराजी का कुछ हिस्सा रहन होने के कारण व प्रतिवादी संख्या 26 को वहैसियत लैण्ड होल्डर होने के कारण व प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 24 को बंटवारा कास्त व सहखातेदार होने के कारण तरतीवी प्रतिवादी बनाया गया है। उनसे कोई विवाद नही है।

27.11.25
उपखण्ड अधिकारी
बसेड़ी (धौलपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

अन्त में वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना की है कि:–

दावा की मद संख्या 1 में वर्णित आराजी स्थित वाके ग्राम पौहई में खाता संख्या 63 के कुल खसरा 7 कुल रकवा 1.48 हैक्टैयर का बंटवारा हिस्सेनुसार सभी पक्षकारान के मध्य वाई मीट्स एण्ड वाउण्ड कराया जाकर खाता व लगान अलग–अलग कायम किया जाकर वादी के हिस्से की आराजी पर उसका कब्जा दिलाया जावे। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी नही करे, न किसी अन्य से करावे न जोजने बोने से रोके। मृतको का विरासत का नामान्तकरण खोला जावे। अन्य जो भी अनुतोष वादी के हम में हो वह भी दिलाया जावें।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। हाजिर अदालत न होने के कारण प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वादी द्वारा साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू 1 (मोहन सिंह) के वयान कराये गए दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबन्दी वाके ग्राम पोहई संवत 2074 से 2077 पर प्रदर्श 1 डाला गया। वादी द्वारा शेष साक्ष्यवादी न कराकर शेष साक्ष्यवादी के स्थान पर सीधी वहस करने हेतु निवेदन किया दौराने बहस वादी द्वारा प्रकरण को अच्छे में से अच्छे व बुरे में से बुरे (बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड) के आधार पर प्राथमिक डिक्री किया जाने का अनुरोध किया किया।

न्यायालय द्वारा दिनांक 19.01.2024 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार बसेड़ी को मौका कमिश्नर नियुक्त करते हुए वादग्रस्त आराजी जमाबन्दी संख्या 2074 से 2077 तक के अनुसार आराजी के खाता संख्या 63 के ख.न क्रमशः 100, 242, 243, 246, 247, 445, 99 रकवा क्रमशः 0.5000, 0.2000, 0.2000, 0.1200, 0.1300, 0.0900, 0.2400 हैक्टैयर कुल किता 7 कुल रकवा 1.4800 हैक्टैयर स्थित ग्राम पोहई पटवार हल्का बांसरई तहसील बसेड़ी में पक्षकारान मुकदमा की उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी ( राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 ये 21 के प्रावधानों के अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर प्रत्येक कुर्रे में लगान की फैलावट आदि नियमों की पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव चाहे गये।

तहसीलदार बसेड़ी ने अपने पत्रांक/भू.अभि./2025/1871 दिनांक 15.10.2025 द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए जो शामिल पत्रावली किये गये। बहस विभाजन प्रस्ताव अधिवक्ता वादी की एक पक्षीय सुनी अधिवक्ता वादी ने मुताविक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वाद वादी बाबत तकासमा आराजी मुताविक कुर्रे कायमी रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) अन्तिम डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते है कि पक्षकारान के नाम के सम्मुख अंकित आराजी उनके कब्जे काश्त में निम्नानुसार रहेगी एवं रहन का अंकन यथावत रहेगा।

| राजस्व गाव व खाता संख्या | क्र.स. | नाम खातेदार मय विवरण | खसरा नम्बर | रकवा | किस्म | लगान |
|---|---|---|---|---|---|---|
| पौहई | 1 | हरीसिंह पुत्र जगन्नाथ, सुनिता, राजन्ती, मीना पुत्रियान जगन्नाथ जाति कुशवाह सा. देह खातेदार | 445/1<br>100/1 | 0.0500 है0<br>0.1950 है0 | बा0प्र0<br>बा0प्र0 | –<br>– |
| | | | कुल किता 2 | 0.2450 है0 | – | – |
| | 2 | भवानी पुत्र हटीला जाति कुशवाह सा. देह खातेदार | 242/1<br>243/2 | 0.0200 है0<br>0.0625 है0 | चा0प्र0<br>चा0प्र0 | –<br>– |
| | | | कुल किता 6 | 0.0825 है0 | – | – |

24.11.25
उपखण्ड अधिकारी
बसेड़ी (धौलपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| पौहई | 3 | गोपेश, रामदीन, पुत्रान रामरूप, सुखो पत्नी रामरूप, पूनम, सीमा पुत्रियान रामरूप जाति कुशवाह सा. देह खातेदार | 246/3<br>242/3<br>243/3 | 0.0500 है0<br>0.1000 है0<br>0.0150 है0 | चा0सो0<br>चा0प्र0<br>चा0प्र0 | –<br>–<br>– |
| | | | कुल किता 3 | 0.1650 है0 | – | – |
| | 4 | मोहनसिंह पुत्र हटीला जाति कुशवाह सा. देह खातेदार | 246/1<br>100/3 | 0.0500 है0<br>0.1975 है0 | चा0सो0<br>बा0प्र0 | –<br>– |
| | | | कुल किता 2 | 0.2475 है0 | – | – |
| | 5 | पवन, सत्येन्द्र, पुत्रान ध्रुव, रामा, शिमला, गौरा, रवि पुत्रियान ध्रुव, किरनदेई पत्नी रामभजन पुत्र ध्रुव, दीपक पुत्र रामभजन पुत्र ध्रुव, रचना, रश्मि, मधु पुत्रियान रामभजन सा. देह खातेदार | 442/2<br>242/2<br>243/1<br>99/1 | 0.0400 है0<br>0.0800 है0<br>0.1225 है0<br>0.0875 है0 | बा0प्र0<br>चा0प्र0<br>चा0प्र0<br>बा0प्र0 | –<br>–<br>–<br>– |
| | | | कुल किता 4 | 0.3300 है0 | – | – |
| | 6 | प्रेम, रामदुलारी पुत्रियान हटीला जाति कुशवाह सा. देह. खातेदार | 99/2<br>100/4 | 0.1525 है0<br>0.0125 है0 | बा0प्र0<br>बा0प्र0 | –<br>– |
| | | | कुल किता 2 | 0.1650 है0 | – | – |
| | 7 | रामरतन पुत्र हरचंद जाति कुशवाह सा. देह खातेदार | 246/2<br>247<br>100/2 | 0.0200 है0<br>0.1300 है0<br>0.0950 है0 | चा0सो0<br>चा0सो0<br>बा0प्र0 | –<br>–<br>– |
| | | | कुल किता 3 | 0.2450 है0 | – | – |

आज दिनांक 20.11.2025 को यह फैसला मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27.11.25

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी
बसेड़ी (धौलपुर)

उपखण्ड अधिकारी
बसेड़ी (धौलपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

# डिकी व मुकदमे की इब्तदाई

(ओ 20 ए 6–7 जाब्ता दीवानी)

**(civil procedur coud appendix D-1)**

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बसेडी

इजलास सुरेन्द्र प्रसाद (आर.ए.एस.)

**मोहनसिंह बनाम भवानी सिंह बगैरा**

विस्तृत उनवान पुस्त पर दर्ज है
दावा बावत् अधीन
अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

मुकदमा नम्बर 14/22

वादीगण की की ओर से श्री राजवीर परमार एडवोकेट की उपस्थित में इस वाद में आज तारीख 27.11.2025 को सुरेन्द्र प्रसाद (आर.ए.एस.) वाद वादीगण बाबत तकासमा आराजी मुताविक कुर्रे कायमी रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते है कि पौहई तहसील बसेड़ी में विभाजन प्रस्ताव में पक्षकारान के नाम के सम्मुख अंकित आराजी उनके कब्जे काश्त पौहई तहसील बसेडी में निम्नानुसार रहेगी एवं रहन का अंकन यथावत रहेगा। विभाजन प्रस्ताव डिकी का अभिन्न अगं रहेगे।

27.11.25
(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी
बसेड़ी
उपखण्ड अधिकारी
बसेड़ी (धौलपुर) राज.

| वादी | | प्रतिवादी | |
|---|---|---|---|
| | रूपये | | रूपये |
| 1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प<br>2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प<br>3.प्रदर्शो के लिए स्टाम्प<br>4.......रूपये पर प्लीडर की फीस<br>5.साक्षियों के लिए निर्वाह –व्यय<br>6.कमिश्नर की फीस<br>7.आदेशिका की तामील | – | – | – |
| जोड | | जोड | |

27.11.25
उपखण्ड अधिकारी
बसेड़ी
उपखण्ड अधिकारी
बसेड़ी (धौलपुर) राज

Scanned with OKEN Scanner

# डिकी व मुकदमे की इब्तदाई

(ओ 20 ए 6–7 जाब्ता दीवानी)

(civil procedure code appendix D-1)

जज अदालत उपखण्डाधिकारी मुकाम बसेडी

इजलास सुरेन्द्र प्रसाद (आर.ए.एस.)

**मोहनसिंह बनाम भवानी सिंह वगैरा**

1.मोहन सिंह पुत्र हटीला जाति काछी (कुशवाह) निवासी पोहई तह0 बसेडी जिला धौलपुर।

............... वादी

*बनाम*

1. भवानी सिंह पुत्र हटीला
2. गेपेश } पुत्रगण रामरूप पुत्र हटीला
3. रामदीन
4. सूखो पत्नी रामरूप पुत्र हटीला
5. पूनम पुत्री रामरूप पुत्र हटीला

} जाति काछी (कुशवाह) निवासी पोहई तहसील बसेडी जिला धौलपुर (राज.)

6. सीमा पुत्री रामरूप पत्नी जीतेन्द्र जाति कुशवाह निवासी मदीना कॉलोनी, धौलपुर राजस्थान
7. पवन } पुत्रगण ध्रुव पुत्र हटीला जाति कुशवाह निवासी पौहई तहसील बसेडी जिला
8. सत्येन्द्र } धौलपुर राजस्थान

..........................**प्रतिवादीगण**

9. रामा
10. शिमला } पुत्रियान ध्रुव पुत्र हटीला
11. गौरा
12. रवि
13. किरनदेई पत्नी रामभजन पुत्र ध्रुव
14. दीपक पुत्र रामभजन पुत्र ध्रुव
15. रचना
16. रश्मी } पुत्रियान रामभजन पुत्र ध्रुव
17. मधु
18. रामदुलारी } पुत्रीयान हटीला
19. प्रेम
20. रामरतन पुत्र हरचन्द्र
21. हरीसिंह पुत्र जगन्नाथ
22. सुनीता
23. राजन्ती } पुत्रीयान जगन्नाथ
24. मीना

} जातिवान काछी निवासी पौहई तहसील बसेडी जिला धौलपुर राजस्थान

25. पंजाव नेशनल बैक शाखा बसेडी जरिये शाखा प्रबंधक शाखा बसेडी
26. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसेडी व हैसियत भू–स्वामी

................................ **प्रतिवादीगण**

**दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट**

पीठासीन अधिकारी–सुरेन्द्र प्रसाद (आर.ए.एस.)

21.11.25

उपखण्ड अधिकारी
बसेडी
उपखण्ड अधिकारी बसेडी (धौलपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner